

- आदेश -

जनपद चमोली के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 7.35 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 14.70 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-०८वी०/य०सी०पी०/०६/११७/२०१५/एफ०सी०/९५९ दिनांक ०७.८.२०१८ की शर्त सं०-१ के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 7.35 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम खाल्यूं रा०उ०नी० क्षेत्र देवर तहसील पोखरी की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-८ के खसरा सं०-४० रकबा ०.९७८ है० मध्ये ०.७९३ है० एवं खसरा सं०-१३५ रकबा ६.१९४ है० कुल ६.९८७ है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-१०(४) अन्य कारणों अकृषित भूमि के रूप में दर्ज है एवं ग्राम काफलपानी रा०उ०नी० क्षेत्र त्रिशुला की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-६ के खसरा सं०-२२० रकबा ७.७१३ है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-९(३)ड.कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, अर्थात् कुल १४.७० है० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-२१७३/XVIII(II)/२०१२-१८(१२०)/२०१० दिनांक १७, दिसम्बर २०१२ के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस० भदौरिया),

जिलाधिकारी,

चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।-४२

संख्या: ५५७६/छवीस-१७ (२०१८-२०१९) गोपेश्वर: दिनांक: ०५ अप्रैल, २०१९

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
२. सचिव, राजरव विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
३. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४ उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
४. आयुक्त एवं राचिव, राजरव परिपद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
६. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, पोखरी।
७. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
८. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
९. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नी०वि०, पोखरी।

जिलाधिकारी,
चमोली।